न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 2/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सैनी उम्र 30 वर्ष निवासी करणबास थाना मण्डावर जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः– 09.06.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सैनी उम्र 30 वर्ष निवासी करणबास थाना मण्डावर जिला दौसा के विरूद्ध निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है। उक्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	126/10	8.6.2010	13 RPGO	88/10	12.6.2010	सजा 7.7.2010
2.	195/12	11.10.2012	13 RPGO	121/12	25.5.2012	सजा 5.11.2012
3.	7/17	10.1.2017	13 RPGO	4/17	16.1.2017	सजा 21.1.2017
4.	137/17	23.9.2017	13 RPGO	125/17	28.9.2017	सजा 13.10.2017
5.	147/18	31.10.2018	13 RPGO	156/18	31.10.2018	विचाराधीन

उक्त शख्स राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सैनी उम्र 30 वर्ष निवासी करणबास थाना मण्डावर जिला दौसा जुआं/सट्टा करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्तियों को नुकसान हो रहा है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत इस्तगासा पेश कर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम जन को जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध विगत वर्षो में पांच आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को चार अपराधों में सजा हुई है तथा एक आपराधिक प्रकरण अभी भी विचाराधीन है। गैर सायल राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जुआं/सट्टा करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्तियों को नुकसान हो रहा है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का स्वछन्द रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। अतः गैर सायल राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सैनी उम्र 30 वर्ष निवासी करणबास थाना मण्डावर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की मजकूर आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके एवं आम जन को जुआ–सट्टा के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

गैर सायल ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं राजूलाल सैनी पुत्र श्री मंगलराम माली करणबास ग्राम पंचायत सायपुर–पाखर का निवासी हूं। मैं मण्डावर कस्बे में सब्जी मंडी में सब्जी का धंधा करता हूं। सब्जी मंडी में फुर्सत के समय हम पूर्व में समय व्यतीत करने के लिये ताश पत्ती खेलते थे। पुलिस खुद के रिकॉर्ड में वाह वाही लूटने के लिये हम पर मुकदमे लगाकर यह कहकर छोडती रही कि आपका कुछ नहीं होगा और हम इस बारे में अज्ञानी थे। मेरे प्रति पुलिस विभाग द्वारा जानबूझकर झूठा इस्तागासा पेश किया है। जबकि मैं सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा से जीवन व्यतीत करने वाला सेवक हूं। मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मुझसे भूल चूक में अनजाने में अगर कोई गलती हुई भी होगी "जैसे कि टाइमपास के लिये ताशपत्ती खेलना, वह भी नहीं खेलूंगा"। मुझ प्रार्थी को अन्तिम बार मौका देकर राहत देने की कृपा करे एवं मेरे विरूद्ध जारी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

बहस लोक अभियोजक–राजकीय अधिवक्ता एवं गैर सायल पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। थाना अधिकारी मण्डावर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण काफी पुरानी अवधि के है। वर्ष 2018 के पश्चात् गैर सायल के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर इस्तगासा इस न्यायालय में दर्ज नहीं हुआ है। गैर सायल न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपूर्वक यह कथन किया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरूद्ध पेश किया गया इस्तगासा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार गैर सायल राजूलाल पुत्र श्री मंगलराम जाति सैनी उम्र 30 वर्ष निवासी करणबास थाना मण्डावर जिला दौसा के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है। पुलिस अधीक्षक दौसा को आदेश की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा